न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 22 / 2019
RCMS No- 2019/00072

प्रार्थी:–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1 देवेन्द्र पुत्र श्री शिशुपालसिंह जी राजपुत, मैसर्स– देवेन्द्र किराणा स्टोर, दुध डेयरी रोड़ शिवाजी नगर, पाली
2 ललीत अग्रवाल चन्दन Chandan & Company BS-19 shivaji nagar, Labour colony, Pali
3 धर्मेन्द्र गहलोत(प्रोपराइटर) निर्माता फर्म– कृष्णा एग्रो ऑयल्स,44–46 महेश गहलोत नगर मण्डोर, जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 12/6/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 18.02.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स– देवेन्द्र किराणा स्टोर, दुध डेयरी रोड शिवाजी नगर, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां आम जन को बिक्री हेतु रखा गया खाद्य तेल रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड मधुर चॉईस) 500 एमएल की चार मूल पैक बोतल का वास्ते जांच हेतु क्रय कर, जिसकी कीमत 200 / – अप्रार्थी संख्या 1 को नगद देकर रसीद प्राप्त की। उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–748 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य तेल रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड मधुर चॉईस) के नमूने को sub standard as it gives negative test for vitamin A स्तर का माना है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड मधुर चॉईस) sub standard का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री चन्दन एण्ड कम्पनी से क्रय की गई, जिसके बिल क्रमांक 7578 दिनांक 18.02.2018 है, जिसकी प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के समक्ष पेश की, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित नहीं है। अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा उक्त सामग्री का मात्र विक्रय ही किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है एवं न ही कोई छेडछाड की गई है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने भी इन्ही तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके द्वारा उक्त सामग्री अप्रार्थी संख्या 3 से क्रय की गई है, जिसका बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया हैं। उक्त सामग्री अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी निर्मित नहीं हैं। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 भी उक्त सामग्री निर्माण में रही कमियों हेतु किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण को ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2018 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य तेल रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड मधुर चॉईस) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–748 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./131/एक्ट/2018/147 दिनांक 28.02.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–748 को अमानक स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य तेल रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड मधुर चॉईस) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या एक तथा दो पर पृथक पृथक रूप से 2500/–2500/– एवं अप्रार्थी संख्या तीन पर 6,000/– कुल 11000/– अक्षरे ग्यारह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/6/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली